

ललित / शतल सुभा
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2022/79

नम्बर व तारीख
जो इस हुक्म को
में जारी हुआ

तारीख हुक्म

30/7/24

ज्जावली पैत्रा हुई) वकील प्राची इप।

वकील प्राची को अपाची क्रं. 1 की तलबी हेतु नोटिस
पत्रा करने हेतु पूर्व में व्यक्ति अपसर बढ़िये जाने के उपरांत
भी वकील प्राची ने आदिक तक नोटिस पत्रा नहीं रखिये
है।

अतः क्राइवबन्ता प्राची द्वारा प्रस्तुत यह फ़ैजवाली अन्तर्गत
अपरा 9 नियम 5 CPC के तहत खारिज की जाती है।
निर्णय की सव्यप्रति के साथ उच्चतम न्यायालय का
रेकॉर्ड लौटाया जावे। ज्जावली फैसले शुमार चंकर नम्बर
में कत हो।

Luca

अति जिला कलेक्टर पाली